

समाहरणालय हजारीबाग
(समाज कल्याण शाखा)
सूचना

राज्यान्तर्गत संचालित केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल कार्यान्वयन निमित्त हजारीबाग जिले में जिला स्तर पर जिला योजना समन्वयक एवं जिला योजना सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पदों पर अर्हताधारी इच्छुक आवेदक जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग (समाहरणालय परिसर) के कार्यालय में आवेदन Speed Post/Registered Post के माध्यम से समर्पित करेंगे। अन्य माध्यमों से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. संविदा आधारित नियुक्ति हेतु पदों की विवरणी –

क्रमांक	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या
1	जिला योजना समन्वयक	अनारक्षित	01
2	योजना सहायक	अनारक्षित	01

3. कंडिका-02 में वर्णित पदों का मासिक नियत वेतन एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताएँ –

क्र.	पदनाम	नियत वेतन, मासिक (प्रति पद)	योग्यता/अनुभव
1	जिला योजना समन्वयक	35,000/-	<p>शैक्षणिक योग्यता – स्नातकोत्तर (सामाजिक विज्ञान/जीवन विज्ञान/ पोषण/ औषध/स्वास्थ्य प्रबंधन/सामाजिक कार्य/ग्रामीण प्रबंधन को अधिमानता)</p> <p>अन्य योग्यताएँ –</p> <ol style="list-style-type: none"> सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। MS-Office के प्रयोग में दक्षता। अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दक्षता।
2	योजना सहायक	20,000/-	<p>शैक्षणिक योग्यता – स्नातक (सामाजिक विज्ञान/सामाजिक कार्य/ग्रामीण प्रबंधन/सांख्यिकी को अधिमानता)</p> <p>अन्य योग्यताएँ –</p> <ol style="list-style-type: none"> सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। MS-Office के प्रयोग में दक्ष, अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।

4. आयु सीमा – उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा –

(क) आयु की गणना हेतु तिथि – 01.08.2019

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रावधानित नियमों के आलोक में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी –

कोटि	न्यूनतम आयु (वर्ष में)	अधिकतम आयु (वर्ष में)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु
अनारक्षित	25 वर्ष	35 वर्ष	45 वर्ष
अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग		37 वर्ष	47 वर्ष
महिला (अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग)		38 वर्ष	48 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)		40 वर्ष	50 वर्ष

5. सभी पद पूर्ण रूप से अस्थाई (अनुबंध पर) होंगे। इन पदों के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति का स्थायीकरण का दावा अमान्य होगा एवं योजना की समाप्ति के साथ सभी पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

6. (क) संविदा पर नियुक्ति की शर्तें –

- संविदा एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगा। आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर सेवा हेतु कार्यरत कर्मियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जायेगा।
- उपर्युक्त पदों पर कार्यरत किसी भी कर्मी का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उक्त कर्मी का अनुबंध किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा।
- संविदा आधारित उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों का किसी भी परिस्थिति में स्थाई नियोजन नहीं होगा। इन स्वीकृत पदों पर कर्मियों को नियत वेतन के विरुद्ध ही कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जायेगा।
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्तों एवं पदों की संख्या में संशोधन कर सकता है।
- संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

(ख) संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया –

- संविदा आधारित उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का दावा अमान्य है।
- उपर्युक्त पदों के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त, नियुक्ति प्राधिकार होंगे।
- उक्त पदों के प्रशासनिक नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड होंगे।
- चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति के तीन माह के अन्दर प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाली संस्थान से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अवधि के अन्दर चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रत्येक स्तर पर यथा – प्रारंभिक मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची एवं प्रतीक्षा सूची में चयनित कर्मियों के नाम सूचना पटल, स्थानीय समाचार पत्र एवं जिले के वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।
- एक से अधिक पदों की अर्हता रखनेवाले इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करने होंगे।

(ग) चयन का मापदण्ड –

- i. वैसे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। जिन्होंने कंडिका-3 में उल्लेखित संबंधित पदों के सभी शैक्षणिक योग्यता यथा- मैट्रिक, इन्टर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% अंक मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया हो।
- ii. प्रारंभिक मेधा सूची तैयार करने निमित्त अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंक पत्र के आधार पर उन्हें निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेंगे –

क्रम	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मापदण्ड का प्रतिशतता				कुल प्रतिशतता
			मैट्रिक	इन्टर	स्नातक	स्नातकोत्तर	
1	जिला योजना समन्वयक	स्नातकोत्तर	20	20	30	30	100
2	योजना सहायक	स्नातक	30	30	40	—	100

उदाहरण – उपरोक्त सभी पदों के अभ्यर्थी का प्रतिशतता निम्नानुसार ज्ञात की जायेगी :-

शैक्षणिक योग्यता	पूर्णांक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	मपदण्ड का प्रतिशत	प्राप्त प्रतिशतता
मैट्रिक	1000	650	65	20%	13.00
इन्टर	1000	550	55.5	20%	11.10
स्नातक	1000	585	58.5	30%	17.55
स्नातकोत्तर	1000	610	61	30%	18.30
कुल :-					59.95

उक्त आधार पर प्रत्येक पद के लिए पृथक प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी।


- iii. कंडिका-3 में पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता में चिन्हित विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर होने पर 5 (पाँच) अंकों की अधिमानता दी जायेगी।
- iv. प्रत्येक पद की रिक्ति के अनुरूप पाँच गुणा अभ्यर्थियों का चयन शीर्ष प्रारंभिक मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा।
- v. जिला योजना समन्वयक के पद पर प्रारंभिक मेधा सूची के आधार पर पाँच गुणा अभ्यर्थियों से कम्प्यूटर पर MS Office के प्रयोग की दक्षता हेतु जाँच परीक्षा ली जायेगी।
- vi. जिला स्तरीय योजना सहायक के पद पर प्रारंभिक मेधा सूची के आधार पर पाँच गुणा अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर MS Office के प्रयोग की दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईपिंग की दक्षता हेतु जाँच परीक्षा ली जायेगी। कम्प्यूटर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग में क्रमशः 25 एवं 35 शब्द प्रति मिनट शुद्धता सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- vii. कम्प्यूटर पर MS Office के प्रयोग की दक्षता तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग की दक्षता हेतु ली जानेवाली जाँच परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा। यह पूर्णतः Qualifying प्रकृति के होंगे।
- viii. कम्प्यूटर पर MS Office एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण शुद्धता सहित उत्तीर्णता के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।
- ix. पदवार तैयार की गई अंतिम मेधा सूची में प्रथम स्थान प्राप्त आवेदक को नियुक्त किया जायेगा एवं शेष आवेदक, प्रतीक्षा सूची में माने जायेंगे। इस प्रतीक्षा सूची की वैधता अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की होगी।
- x. नियुक्ति उपरांत, रिक्ति के स्थिति में प्रतीक्षा सूची के मेधा क्रम के अनुसार रिक्त पद को भरा जायेगा।


(घ) आवेदन की प्रक्रिया –


- i. इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्न प्रमाण पत्रों की छायाप्रति (स्व अभिप्रमाणित) के साथ समर्पित करेंगे—
 - a. मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
 - b. इन्टर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
 - c. स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
 - d. स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
 - e. सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र।
 - f. सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र। (आयु में छुट के लिए)
 - g. अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र।
 - h. कम्प्यूटर दक्षता हेतु प्रमाण पत्र।

(ड.) अन्यान्य

1. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 15.10.2020 है।
2. नियुक्ति संबंधी निर्गत सूचना को हजारीबाग एन.आई.सी. के Website- www.hazaribag.nic.in पर अथवा जिला नजारत/जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क कार्यालय एवं जिला समाज कल्याण कार्यालय, हजारीबाग के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।


24.9.20
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
हजारीबाग।


24/9/2020
उप विकास आयुक्त,
हजारीबाग।


24/9/2020
उपायुक्त,
हजारीबाग।

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र

1. पद का नाम.....
2. आवेदक का नाम.....
3. लिंग.....
4. पिता/पति का नाम.....
5. माता का नाम.....
6. जन्म तिथि.....
7. दिनांक-01.08.2019 को उम्र वर्ष नाह..... दिन
8. पहचान चिन्ह.....
9. स्थायी पता.....

पासपोर्ट
साईज

10. पत्राचार का पता.....
11. मोबाईल नं०-..... ई-मेल आईडी-.....
12. (क) शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	कुल अंक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	प्रमाण पत्र (हाँ/नहीं)	अंक पत्र संलग्न (हाँ/नहीं)
मैट्रिक							
इन्टर							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							

(ख) स्नातक का विषय.....

(ग) स्नातकोत्तर का विषय.....(यदि लागू हो तो)

- (घ) अन्य योग्यता :-
- i अनुभव प्रमाण पत्र :-(संलग्न करें)
 - ii Computer में दक्षता प्रमाण पत्र :-(संलग्न करें)
 - iii अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दक्षता (स्थानीय भाषा का उल्लेख करें) :-

iv हिन्दी/अंग्रेजी टंकण दक्षता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) - (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

13. कोटि-(सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति).....
(पत्रांक..... दिनांक.....)

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14. स्थानीयता प्रमाण पत्र- हाँ/नहीं (पत्रांक..... दिनांक.....) (संलग्न करें)

तिथि.....

स्थान.....

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई थाना काण्ड दर्ज नहीं है। मैं किसी फौजदारी मामले में दण्डित नहीं हूँ।

उपर्युक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही हैं, किसी भी स्तर पर सूचनाएँ गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर